उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1

संख्या-2/2017/वे0आ0-1-279/दस-17-6(एम)/2016

लखनऊ: दिनांक: 11 जुलाई, 2017

इस अनुभाग के पत्र संख्या-8/2016-वे0आ0-1-1006/दस-16-28(एम)/2007 दिनांक 24 नवम्बर, 2016 के क्रम में भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के कार्यालय-ज्ञापन संख्या-1/3/2017-ई-II(बी), दिनांक 30 मार्च, 2017 एवं कार्यालय-ज्ञापन संख्या-1(3)/2008-ई-II(बी) दिनांक 07 अप्रैल, 2017 की (हिन्दी/अग्रेजी) तथा कार्यालय ज्ञापन संख्या-1(3)/2008-ई-II(बी) दिनांक 07 अप्रैल, 2017 की हिन्दी की प्रति निम्नलिखित को इस आशय से पृष्ठांकित की जा रही है कि कृपया प्रदेश में तैनात अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को उक्त कार्यालय ज्ञापन की व्यवस्था के अनुसार दिनांक 01 जनवरी, 2017 से महंगाई भत्ते का भुगतान सुनिश्चित करने का कष्ट करे:-

1- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल।
2- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
5- इरला चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय।

अजय अग्रवाल
सचिव।

<u>संख्या-2/2017-वे0आ0-1-279(1)/दस-2017, तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-2 उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- सचिवालय में तैनात अखिल भारतीय सेवा के समस्त अधिकारी।
3- प्रभारी, निकनेट सेल, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय,लखनऊ।
4- वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
5- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।

आज्ञा से,
अजय अग्रवाल
सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सं. 1/3/2017-ई.II(बी)
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
30 मार्च, 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषयः केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता प्रदान किया जाना - 01.01.2017 से लागू संशोधित दरें।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के 4 नवंबर, 2016 के का. ज्ञा. सं. 1/2/2016-ई.II(बी) के संदर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रपति ने सहर्ष यह निर्णय लिया है कि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ता **01 जनवरी, 2017** से मूल वेतन के 2 % की विद्यमान दर से बढ़ाकर **4%** कर दिया जाएगा।

2. संशोधित वेतन संरचना में 'मूल वेतन' शब्द का अभिप्राय सरकार द्वारा स्वीकृत 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित लेवल में आहरित वेतन से है किन्तु इसमें विशेष वेतन आदि जैसा अन्य प्रकार का कोई वेतन शामिल नहीं है।

3. यह महंगाई भत्ता, पारिश्रमिक का एक भिन्न कारक बना रहेगा और इसे एफआर 9(21) के तहत वेतन नहीं माना जाएगा।

4. महंगाई भत्ते की मद में 50 पैसे और उससे अधिक के अंश का भुगतान अगले उच्चतर रुपए के पूर्णांक में किया जाए और 50 पैसे से कम अंश को नजरअंदाज किया जाए।

5. मंहगाई भत्ते की बकाया राशि का भुगतान मार्च, 2017 के वेतन के संवितरण की तारीख से पहले नहीं किया जाएगा।

6. ये आदेश, रक्षा सेवा प्राक्कलनों से वेतन प्राप्त करने वाले असैनिक कर्मचारियों पर भी लागू होंगे और यह व्यय, रक्षा सेवा प्राक्कलनों के संगत शीर्ष के नामे डाला जाएगा। सशस्त्र बल कर्मियों और रेलवे कर्मचारियों के संबंध में क्रमशः रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।

7. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सहमति से जारी किए जाते हैं।

निर्मला देव
30/03/2017
(निर्मला देव)
उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार)।

प्रतिलिपिः नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग आदि।

No. 1/3/2017-E-II (B)
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
*****

North Block, New Delhi
Dated the 30th March, 2017.

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Grant of Dearness Allowance to Central Government employees - Revised Rates effective from 1.1.2017.

The undersigned is directed to refer to this Ministry's Office Memorandum No. 1/2/2016-E-II (B) dated 4th November, 2016 on the subject mentioned above and to say that the President is pleased to decide that the Dearness Allowance payable to Central Government employees shall be enhanced from the existing rate of 2% to **4%** of the basic pay with effect from **1st January, 2017**.

2. The term 'basic pay' in the revised pay structure means the pay drawn in the prescribed Level in the Pay Matrix as per 7th CPC recommendations accepted by the Government, but does not include any other type of pay like special pay, etc.

3. The Dearness Allowance will continue to be a distinct element of remuneration and will not be treated as pay within the ambit of FR 9(21).

4. The payment on account of Dearness Allowance involving fractions of 50 paise and above may be rounded to the next higher rupee and the fractions of less than 50 paise may be ignored.

5. The payment of arrears of Dearness Allowance shall not be made before the date of disbursement of salary of March, 2017.

6. These orders shall also apply to the civilian employees paid from the Defence Services Estimates and the expenditure will be chargeable to the relevant head of the Defence Services Estimates. In respect of Armed Forces personnel and Railway employees, separate orders will be issued by the Ministry of Defence and Ministry of Railways, respectively.

7. In so far as the employees working in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders are issued with the concurrence of the Comptroller and Auditor General of India.

30/03/2017
(Nirmala Dev)
Deputy Secretary to the Government of India

To

All Ministries/Departments of the Government of India (as per standard distribution list).

Copy to: C&AG, UPSC, etc.

सं.1(3)/2008-ई.II(बी)
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

नई दिल्ली, 07 अप्रैल, 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय:-छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार संशोधन-पूर्व वेतनमान/ग्रेड वेतन में अपना वेतन आहरित कर रहे केन्द्र सरकार और केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की 01.01.2017 से लागू दर।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के 9 नवम्बर, 2016 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है जिसके माध्यम से केन्द्र सरकार और केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों, जो **छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार** संशोधन-पूर्व वेतनमानों में अपना वेतन आहरित करते आ रहे हैं, के संबंध में महंगाई भत्ते की दरों में संशोधन 01.07.2016 से किया गया था।

2. केन्द्र सरकार और केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के उपर्युक्त वर्गों के कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य महंगाई भत्ते की दर **01.01.2017** से मौजूदा **132%** से बढ़ाकर **136%** कर दी जाएगी।

3. इन आदेशों के तहत महंगाई भत्ते को विनियमित करते समय, इस मंत्रालय के 29 अगस्त, 2008 के का.ज्ञा.सं. 1(3)/2008-ई.II(बी) के पैरा 3,4 और 5 में उल्लिखित प्रावधान लागू रहेंगे।

4. इस कार्यालय ज्ञापन की विषय-वस्तु को मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन उन सभी संगठनों के ध्यान में भी लाया जाए जिन्होंने केन्द्र सरकार के वेतनमानों को अंगीकार किया है।

निर्मला देव
07/04/2017
(निर्मला देव)
उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग आदि (मानक वितरण सूची के अनुसार)।

प्रतिलिपि अग्रेषितः नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग आदि।

No. 1/3/2008-E.II(B)
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
***

New Delhi, dated the 7th April, 2017.

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- **Rate of Dearness Allowance applicable w.e.f.1.1.2017 to employees of Central Government and Central Autonomous Bodies continuing to draw their pay in the pre-revised pay scale/grade pay as per 6th Central Pay Commission**

The undersigned is directed to refer to this Department's O.M.of even No. dated 9th November, 2016 revising the rates of Dearness Allowance w.e.f.01.07.2016 in respect of employees of Central Government and Central Autonomous Bodies continuing to draw their pay in the pre-revised pay scale/grade pay **as per 6th Central Pay Commission.**

2. The rate of DA admissible to above categories of employees of Central Government and Central Autonomous Bodies shall be enhanced from the existing rate of **132% to 136% w.e.f.1.1.2017**.

3. The provisions contained in paras 3,4 and 5 of this Ministry's O.M.No. 1(3)/2008-E.II(B) dated 29th August, 2008 shall continue to be applicable while regulating Dearness Allowance under these orders.

4. The contents of this Office Memorandum may also be brought to the notice of all organisations under the administrative control of the Ministries/Departments which have adopted the Central Government scales of pay.

07/04/2017
(Nirmala Dev)
Deputy Secretary to the Govt. of India

To

All Ministries/Departments of the Government of India (as per standard distribution list).

Copy to: C&AG, UPSC, etc.

सं.1(3)/2008-ई.II(बी)
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

नई दिल्ली, 07 अप्रैल, 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय:-पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार संशोधन-पूर्व वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे केन्द्र सरकार और केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के लिए 01.07.2016 और 01.01.2017 से लागू महंगाई भत्ते की दरें।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के 22 अप्रैल, 2016 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है जिसके माध्यम से केन्द्र सरकार और केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों, जो पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार संशोधन-पूर्व वेतनमानों में अपना वेतन आहरित करते आ रहे हैं, के संबंध में महंगाई भत्ते की दरों में संशोधन 01.01.2016 से किया गया था।

2. केन्द्र सरकार और केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के उपर्युक्त वर्गों के कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य महंगाई भत्ते की दर मौजूदा 245% की दर से बढ़ा कर निम्नानुसार संशोधित कर दी जाएगी:-

तारीख जिससे देय है	महंगाई भत्ते की प्रतिमाह स्वीकार्य दर
1.7.2016	**मूल वेतन का 256 %**
1.1.2017	**मूल वेतन का 264 %**

3. इन आदेशों के तहत महंगाई भत्ते को विनियमित करते समय इस मंत्रालय के 3 अक्तूबर, 1997 के का.ज्ञा.सं. 1(13)/97-ई.II(बी) के पैरा 3,4 और 5 में उल्लिखित प्रावधान लागू रहेंगे।

4. इस कार्यालय ज्ञापन की विषय-वस्तु को मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन उन सभी संगठनों के ध्यान में भी लाया जाए जिन्होंने केन्द्र सरकार के वेतनमानों को अंगीकार किया है।

निर्मला देव
07/04/2017
(निर्मला देव)
उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग आदि (मानक वितरण सूची के अनुसार)।

प्रतिलिपि अग्रेषितः नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग आदि।